न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

पीठासीन अधिकारीः—सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :—17 / 2025

प्रार्थीः—

अमरसिंह पुत्र विशनसिंह जाति राजपूत निवासी निम्बेश्वर तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगणः—

1. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कृषि विकास शाखा सिवाना
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती

उपस्थित :—

श्री गणपतसिंह गोलिया व
श्री ललित जांगिड अधिवक्ता प्रार्थी

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 21.08.25

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 125, 126, 45, 46, 47, 48 व 51 रकबा क्रमशः 0.4403, 2.7730, 4.3748, 0.1116, 0.1890, 0.0501 व 1.4993 ग्राम मवडी तहसील सिवाना में तथा खसरा संख्या 138 व 153 रकबा 0.5901 व 0.4768 हैक्टेयर भूमि खेतासर तहसील सिवाना में अवस्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा राशनकार्ड, बैंक पासबुक, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड एवं आयकर कार्ड आदि में प्रार्थी का वास्तविक नाम ''अमरसिंह पुत्र विशनसिंह''दर्ज है किन्तु विवादित भूमियों के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम ''अमरावसिंह पुत्र विशनसिंह'' लिख दिया । इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक भू.अ./2025/1624 दिनांक 08.08.2025 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई । प्रार्थी ने आवेदन पत्र के समर्थन में साक्ष्य में दस्तावेज मतदाता परिचय पत्र,आधार कार्ड, पेनकार्ड, परिवार राशनकार्ड, की प्रति पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.18 19:08:43 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी संख्या 1 का वास्तविक नाम ''अमरसिंह पुत्र विशनसिंह'' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 125, 126,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

45, 46, 47, 48 व 51 रकबा क्रमशः 0.4403, 2.7730, 4.3748, 0.1116, 0.1890, 0.0501 व 1.4993 ग्राम मवडी तहसील सिवाना में तथा खसरा संख्या 138 व 153 रकबा 0.5901 व 0.4768 हैक्टेयर भूमि खेतासर तहसील सिवाना में प्रार्थी का नाम "अमरावसिंह पुत्र विशनसिंह" त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, पेनकार्ड, परिवार राशनकार्ड, आदि दस्तावेजात में प्रार्थी संख्या 1 का वास्तविक नाम "अमरसिंह पुत्र विशनसिंह" की तस्दीक होती है, किन्तु विंवादित भूमि में प्रार्थी का नाम "अमरावसिह पुत्र विशनसिंह" नाम दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 125, 126, 45, 46, 47, 48 व 51 रकबा क्रमशः 0.4403, 2.7730, 4.3748, 0.1116, 0.1890, 0.0501 व 1.4993 ग्राम मवडी तहसील सिवाना में तथा खसरा संख्या 138 व 153 रकबा 0.5901 व 0.4768 हैक्टेयर भूमि खेतासर तहसील सिवाना के राजस्व रिकार्ड में दर्ज में प्रार्थी का नाम "अमरावसिंह पुत्र विशनसिंह ' के स्थान पर "अमरसिंह उर्फ अमरावसिंह पुत्र विशनसिंह" दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। **प्रार्थी द्वारा रहन मुक्त का प्रमाण पत्र अथवा सम्बन्धित बैंक का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पश्चात्** ही तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 21.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.18 19:08:43 IST
Reason: SelfAttested